15/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 12.1.23 को पेश हो।

12/1/23 पत्रावली पेश हुई वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20.2.23 को पेश हो।

20/2/23 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13-4-23 को पेश हो।

13/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 25/5/23 को पेश हो।

13/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 13/9/23 को पेश हो।

13/9/23 पत्रा० पेश हुई वकील वादी हाजिर बहस सुनी गई। वाद वादी डिक्री किया जाता है पृथक डिक्री पत्रावली निर्णय आज्ञा से लिखा जावे। शामिल मिसल किया गया। पक्ष० फैसला सुनाकर होकर [illegible] से कम दो आदेश रिकार्ड को निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 169/2020

धूड़ाराम पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील सीकर

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट

उपस्थित –वकील वादी– श्री कैलाश सोनी

वकील प्रतिवादी –

निर्णय

दिनांक : 13.9.2023

वकील वादी ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर में आराजी खसरा नम्बर 1563 का विभाजन उक्त भूमि के खातेदारों के मध्य होने के उपरान्त उक्त भूमि के सहखातेदार श्री औंकारमल के हक व हिस्से में खसरा नम्बर 5656/1563 रकबा 0.67 है0 एवं खसरा नम्बर 5655/1563 रकबा 0.01 है0 में 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। उक्त औंकारमल वादी का सगा बड़ा भाई है। इसलिये औंकारमल ने वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 5656/1563 में से 0.1124 है0 एवं 5655/1563 में से अपने 1/3 हिस्से का समोचन दिनांक 2.7.2018 को कर दिया उक्त समोचन रजिर्स्टड है। इसके बाद उक्त भूमियों पर वादी काबिज काश्त है। वादी ने प्रतिवादी को उक्त समोचन के तहत खातेदारी दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया परन्तु लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी खातेदारी में नाम दर्ज नहीं किया गया। वास्तविक रूप से वादी एवं समोचनकर्ता औंकारमल आपस में सगे भाई है जिनकी पैतृक कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1563 रही है। वादी

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

समोचन की गई भूमियों की खातेदारी उद्घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को खसरा नम्बर 5656/1563 रकबा 0.1124 है0 का समोचन प्रलेख दिनांक 2.7.2018 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित नहीं। वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की।

बहस वकील वादी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2070–73 ग्राम पिपराली के खसरा नम्बर 1540, 1562 व 1563 की खातेदारी वादी एवं मंगलाराम, औंकारमल पुत्रगण सुरजाराम के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1563 में वादी खातेदार काश्तकार रहा है। इसके पश्चात दिनांक 30.5.2018 को उक्त भूमियों का बंटवारा होकर औंकारमल में हिस्से में खसरा नम्बर 5656/1563 रकबा 0.67 है0 एवं 5655/1563 रकबा 0.01 है0 में से 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात औकारमल द्वारा वादी के पक्ष में खसरा नम्बर 5656/1563 में से रकबा 0.1124 है0 में 5655/1563 रकबा 0.01 है0 में से अपने 1/3 हिस्से का समोचन दिनांक 2.7.2018 को करवा दिया। उक्त समोचन रजिस्टर्ड करवाया गया है। जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा पूर्व मे प्रकरण 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। बाद में वादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर संशोधन के रूप में यह उद्घोषणा का प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार समोचन के समय वादी खसरा नम्बर 5656/1563 का सह खातेदार नहीं था इसलिये समोचन का अमल दरामद नहीं किया जा सका परन्तु खसरा नम्बअर 5655/1563 में वादी सहखातेदार का इसलिये समोचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया । उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1563 पैतृक कृषि भूमि रही है तथा वादी उसमें सहखातेदार रहा है एंव वादी एवं औंकारमल सगे भाई है जिनमें रक्त का संबंध है। औंकारमल द्वारा वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड समोचन से उक्तानुसार हिस्से का त्याग किया गया है। कानूनी बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा उक्त समोचन का अमल दरामद नहीं किया गया है। उक्त समोचन पत्र एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके तहत औकारमल ने अपने हिस्से में से हक त्याग किया है । जिसके आधार पर खसरा नम्बर 5655/1563 रकबा 0.01 है0 में से 1/3 हिस्से का अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार वादी उक्त समोचन के आधार पर खसरा नम्बर 5656/1563 रकबा 0.67 है0 में से 0.1124 है0 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित होने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 5656/1563 रकबा 0.67 है0 में से 0.1124 है0 का समोचन प्रलेख दिनांक 2.7.2018 के आधार पर खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की नियमानुसार स्टाम्प डयूटी लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/9/23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 169 / 2020

धूड़ाराम पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील सीकर

–प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट

उपस्थित –वकील वादी– श्री कैलाश सोनी

वकील प्रतिवादी –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 5656 / 1563 रकबा 0.67 है0 में से 0.1124 है0 का समोचन प्रलेख दिनांक 2.7.2018 के अनुसार खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की नियमानुसार स्टाम्प डयूटी लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 13/9/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर